संख्या –571/1–10–1100 (87)/04

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2010

विषयः पी0ए0सी0 को बाढ़ राहत जीवन रक्षक उपकरणों के क्रय हेतु धन आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उ0प्र0 के पत्रांक डीजी–आठ–99(15)/2010 दि0 04.05.10 के साथ संलग्न पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, मुख्यालय, लखनऊ का पत्रांक पीएसी–तीन–813–2010/4782 दि0 27.05.10 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग की सहमति एवं दि0 25.08.10 को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010–11 में पी0ए0सी0 को निम्नलिखित विवरणानुसार बाढ़ राहत जीवन रक्षक उपकरणों के क्रय हेतु रू0 48,26,100/–(अड़तालीस लाख छब्बीस हजार एक सौ) मात्र की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

क0स0	उपकरण	कुल उपकरणों की संख्या	एक उपकरण का मूल्य	कुल धनराशि
1	लाइफ ब्वाय	134	4000	5,36,000
2	लाइफ जैकेट	309	5000	15,45,000
3	टार्च फोरहेड	153	3200	4,89,600
4	नेट फिशिंग	05	6000	30,000
5	जरीकेन	180	300	54,000
6	नायलान रोप	181 के0जी0	400 प्रति किग्रा0	72,400
7	डेगन लाइट	29	5400	1,56,600
8	सोलर लालटेन	267	1500	4,00,500
9	बैट्री 12 वोल्ट	257	6000	15,42,000
			कुल योग	48,26,100

(अड़तालीस लाख छब्बीस हजार एक सौ मात्र)

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का उपयोग केवल उपरोक्त बाढ़ राहत जीवन रक्षक उपकरणों के क्रय पर किया जाएगा। क्रय में समस्त औपचारिकताओं एवं नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमशः–2–पर

4. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उन्हें दिनांक 31मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय तथा महालेखाकार, इलाहाबाद के अभिलेखों में पुस्तांकन व मिलान समय से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या –571/1–10–1100 (87)/04, दिनांक : 14 सितम्बर ,2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)प्रथम/(आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. पुलिय महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था ,उ0 प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5 एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11।
7. राहत आयुक्त संगठन/श्री संजय अग्रवाल, पीएस,एनआईसी को राहत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0के0 सिन्हा)

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त